

प्रेस नोट शाहजहांपुर पुलिस

मॉनीटरिंग सैल दिनांक 19.03.2025

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत शाहजहांपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 302,201,364 भादवि में आजीवन कारावास एवं कुल 30000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशनुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कड़ी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सैल व थाना मदनापुर पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0-01 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के उपरान्त थाना मदनापुर में अभियुक्त द्वारा वादी के भाई का अपहरण करके उसे जान से मार देना व लाश को छुपा देने के आरोपी देवेन्द्र पुत्र रक्षपाल सिंह नि0 ग्राम परनिया थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को आजीवन कारावास एवं 30000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्तगण का विवरण

आरोपी देवेन्द्र पुत्र रक्षपाल सिंह निवासी ग्राम परनिया थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

घटना व सजा का विवरण

मु0अ0सं0 170/1999 धारा 302,201,364 भादवि थाना मदनापुर में अभियुक्त द्वारा वादी के भाई का अपहरण करके उसे जान से मार देना व लाश को छुपा देने के आरोपी देवेन्द्र पुत्र रक्षपाल सिंह नि0 ग्राम परनिया थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को आजीवन कारावास एवं 30000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।